



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176]
No. 176]

नई दिल्ली, संपन्नवार, अप्रैल 8, 1986/चैत्र 18, 1908
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 1986/CHAITRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

दिल्ली संशालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश कर खण्ड)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल 1986
अधिसूचना
प्राय-कर

धनुबन्ध

भारत सरकार
तथा
इटली सरकार
के बीच

सां. का. नि. 608 (अ) :—आय पर कर की बाबत
दोहरे कराधान के परिवर्जन और राजवित्तीय अपवर्जन के
निराकरण के लिए भारत की सरकार और इटली की सरकार
के बीच किए गए संज्ञान करार का अनुसमर्थन हो गया है
और उक्त करार के अनुच्छेद 29 द्वारा अपेक्षित के अनुसार
अनुसमर्थन पत्रों का विनिमय हो गया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961
(1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ)
अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि
उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत के संघ में प्रभावी
क्रिया में लाया जाए।

आय पर दोहरे कराधान से बचने और
राजस्व के अपवर्जन को रोकने के लिये
करार

भारत सरकार और इटली सरकार,
आय पर दोहरे कराधान से बचने और
राजस्व के अपवर्जन को रोकने के लिये
करार सम्पन्न करने की इच्छा है,
नीचे लिखे अनुसार सहमत हुईं:

अध्याय—[

करार का क्षेत्र-विस्तार

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक क्षेत्र-विस्तार

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद—2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार जिन करों पर लागू होगा वे हैं:—

(क) भारत के संदर्भ में:—

- (1) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया जाने वाला आयकर जिसमें आयकर पर लगने वाला कोई भी अधिभार भी शामिल है ;
- (2) कम्पनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया जाने वाला अधिभार (जिसे इस करार के अन्वय "भारतीय कर" कहा गया है) ।

(ख) इटली के संदर्भ में:—

- (1) वैयक्तिक आयकर
- (2) निगम आय कर
- (3) स्थानीय आय कर

चाहे वे स्त्रोत पर करों को रोक कर वसूल किये जाने हों (जिसे इसके बाद "इटली का कर" कहा गया है) ।

2. यह करार, किन्हीं समरूप अथवा सारतः वैसे ही करों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ—1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाये गये हों।

3. प्रत्येक वर्ष के अन्त में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने उन कर कानूनों में दिये गये उन परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार के विषय है और संगत अधिनियमों और विनियमों की प्रतियां भेजेंगे।

अध्याय—[II

परिभाषाएं

अनुच्छेद—3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिये जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "भारत" शब्द में अभिप्रेत है भारत का क्षेत्र जिसमें उसका प्रादेशिक समुद्र, उसके ऊपर का

वायु क्षेत्र तथा ऐसा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जो भारत के आन्तरिक कानून के अनुसार ऐसी समुद्री क्षेत्र है जिसमें भारत के कतिपय अधिकार हों और वह इसमें अपने इन अधिकारों का प्रयोग उसी तरह कर सकता हो मानो यह समुद्री क्षेत्र भारतीय प्रदेश का ही एक अंग हीं:

- (ख) "इटली" शब्द से अभिप्रेत है इटली गणराज्य और उसमें इटली का प्रादेशिक समुद्र और उसका वायु क्षेत्र शामिल है, और साथ ही उक्त प्रादेशिक समुद्र में बाहर का कोई क्षेत्र विशेषतः इसमें प्राय दीप के प्रदेश का समीपस्थ समुद्र-तल और अन्तर्भूमि शामिल है और इटली के ऐसे द्वीप जो प्रादेशिक समुद्र के बाहर स्थित हैं और जिनकी सीमा, इटली के प्राकृतिक संसाधनों को खोज निकालने और उनका उपयोग करने में संबंधित कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं ;
- (ग) "संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा इटली अभिप्रेत है ;
- (घ) "कर" शब्द में संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा इटली का कर अभिप्रेत है ;
- (ङ) "व्यक्ति" शब्द का अर्थ वहाँ होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों के अपने-अपने यहाँ लागू कर कानूनों में उसे दिया गया है ;
- (च) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई इकाई अभिप्रेत है जो अपने-अपने संविदाकारी राज्यों के करधान कानूनों के अंतर्गत कम्पनी के रूप में मानी जाती है ;
- (छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है ;
- (ज) "राजकोषीय वर्ष" शब्द से भारतीय कर के संदर्भ में "पिछला वर्ष" अभिप्रेत है जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में परिभाषित किया गया है ;
- (झ) "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द से किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत है जो ऐसे किसी उद्यम द्वारा संचालित हो जिसकी प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का स्थान किसी संविदाकारी राज्य में हो, निवाय इसके कि जब जलयान अथवा वायुयान अन्य संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच चलाया जाता हो ;

(अ) "सकल प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है भारत के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार का राजस्व और बैंकिंग विभाग और इटसी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय ।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार के उपबंधों के प्रवर्तन में किसी भी पद का जो यहां परिभाषित नहीं हुआ हो संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर वहीं अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कर्तों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद—4

राजकीय अधिकार

1. इस करार के प्रयोजनों के लिये, "संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार उस राज्य का निवासी हो।

2. जहां पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिये उसकी निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी :

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसका स्थायी निवास-गृह हो। यदि उसका संविदाकारी दोनों राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो तो उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (इसके बाद जिसका उल्लेख "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" के रूप में किया जाएगा) ;

(ख) यदि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि उसके "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" कौन संविदाकारी राज्य है अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य में उसका स्थायी निवास-गृह न हो तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें इसका निरन्तर आवास हो;

(ग) यदि उसका निरन्तर आवास संविदाकारी दोनों राज्यों में है अथवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ-1 के उपबंधों के अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध है।

अनुच्छेद—5

स्थायी स्थापना

1. इस करार के प्रयोजन के लिये "स्थायी स्थापना" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जहां उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी स्थापना" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का स्थान;

(ख) शाखा ;

(ग) कार्यालय ;

(घ) कारखाना ;

(ङ) कर्मशाला ;

(च) विक्रय बाजार के रूप में अथवा आर्डर लेने अथवा मगाने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले परिसर ;

(छ) खान खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का अन्य स्थान;

(ज) भवन स्थल अथवा निर्माण प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उसके संबंध में पर्यवेक्षण कार्यकलाप जहां इस प्रकार का स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षण कार्यकलाप तीन महीने से अधिक की अवधि के लिये चालू रहते हैं।

3. "स्थायी स्थापना" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

(क) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये सुविधाओं का प्रयोग ;

(ख) उद्यम के माल अथवा पण्यों के भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना ;

(ग) अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के अनन्य प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टॉक रखना;

(घ) उद्यम के लिये माल अथवा पण्यों को केवल खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान का प्रयोग;

(ङ) सम्बद्ध उद्यम के व्यापार अथवा वाणिज्य के संबंध में पूर्णतः विज्ञापन सूचना आपूर्ति अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये जो पूरी तरह से प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप की गतिविधियां होती हैं कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लिये अथवा उद्यम की ओर से दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ-5 की व्यवस्था लागू होती हो राज्य में उस उद्यम की स्थायी स्थापना माना जाएगा यदि:

(क) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिये अथवा उद्यम की ओर से संविदाकारी करने का अधिकार रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिये माल अथवा पण्यों के क्रम तक सीमित न हो; अथवा

(ख) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के माल अथवा पण्यों का ऐसा स्टॉक निरन्तर रखता है, जिससे से वह उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्यों को पहुंचाता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की अन्य संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से स्थायी स्थापना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल सामान्य कमिशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्तु यदि इस प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम के लिये (अथवा उद्यम और अन्य उद्यमों के लिये जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हों अथवा इसमें नियंत्रक हित रखते हों) पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत "स्वतंत्र हैसियत" का एजेंट नहीं माना जाएगा।

6. इस तथ्य से कि कोई कंपनी, जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है या किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करता है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है, उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः उस दूसरी कंपनी की स्थायी स्थापना नहीं बन जाएगी।

अध्याय—III

आय का कराधान

अनुच्छेद—6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2. "अचल सम्पत्ति" शब्दों की परिभाषा उक्त संविदाकारी राज्य की विधि और व्यवहार के अनुसार जाएगी,

जिसे संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपलब्ध के रूप में सम्पत्ति, भू-मालिकी और भू-सम्पत्ति से प्रयुक्त पशु धन तथा उपकरण, ऐसी अधिकार बिना पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, तेल कूप, खदान, तथा प्राकृतिक संपत्तियों के निष्कर्षण के सम्बन्धों का संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिभाषित अथवा बिना प्रशासकों के अधिकार। परन्तु जहां विधान प्रचलित नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ—1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, क्रियाएँ पर ही प्रयोग किये अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाले लाभ पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ—1 और 3 के उपबंध द्वारा उद्यम की व्यावसायिक गतिविधियों के निष्कर्षण के लिये इस्तेमाल के लिये बना अचल सम्पत्ति से होने वाला लाभ पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद—7

कारोबार के लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के नामों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में नियंत्रित अथवा किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार न करता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम के नामों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उतने ही नामों पर जो उस स्थायी स्थापना के कारण हुए माने जा सकते हैं।

2. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रत्यक्ष संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापना के कारण उसका उद्यम नामों का माना जाएगा किन्तु प्रत्यक्ष ही नहीं अथवा रहता, जब वह, उन्हीं प्रयोग के ही परिस्थितियों के अंतर्गत, उन्हीं अथवा वहाँ ही किये गये लब्धा कोई निश्चित तथा अलग उद्यम होता, और जहां उद्यम को वह स्थायी स्थापना है, उसके तथ्यपूर्ण संबंधों का अन्वेषण करता होता।

3. जहां किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी स्थापना के लाभ उस उद्यम के मुक्त लाभ को उन्हीं विशिष्ट अर्थों में प्रभाजन के आधार पर निश्चित किये जाने की प्रथा है वहां पैरा—2 की व्यवस्था का अर्थ यह नहीं है कि वह संविदाकारी राज्य संशुद्धि प्रभाजन अर्थात् से कर योग्य लाभ का निर्धारण नहीं कर सकता; तथापि, प्रभाजन से प्रभाजन पद्धति ऐसा होगा कि उक्त परिभाषा इन अनुच्छेदों में विहित विधानों के अनुसार होगी। किसी भी अवस्था में, जहां स्थायी स्थापना के कारण हुआ

माने जा सकेंगी की लाभों की उहा रकम विधायन नहीं करे जा सकली है। अथवा उद्यम पता लगाना बहुत ही कठिन है, तो स्थायी स्थापना के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जाए।

4. किसी स्थायी स्थापना के लाभों के विधायन में उन व्ययों को कटौतियों को स्वोपति दाजाएगा, जो स्थायी स्थापना के आरोपण के प्रयोजनों के लिये किये गये हों, और उन्हें इस प्रकार किये गये कार्यालय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किये गये हों जहाँ स्थायी स्थापना स्थित है, अथवा अन्यथा।

5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापना को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी स्थापना ने, जिस उद्यम को वह स्थायी स्थापना है, उस उद्यम को निर्यात करने के प्रयोजन में माल प्रथम पण्यवस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिये, स्थायी स्थापना के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक, उसी पद्धति से वर्गीकृत निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण न हो।

7. जहाँ लाभों में आय का वे मद शामिल हों, जिनका इस प्रकार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उस अनुच्छेदों के संबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

विमान परिवहन

1. सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त आय पर दूसरे सविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ-1 इस तरह विमान परिवहन में लगे उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्णों में भाग लेने के संबंध में लागू होगा।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये :-

(क) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से सम्बद्ध निधियों पर व्याज को ऐसे वायुयान के संचालन से होने वाले आय माना जाएगा; और

(ख) "वायुयान संचालन" शब्दों का अर्थ होगा वायुयान के धारकों अथवा पट्टेदारों अथवा अय-कृतियों (चार्टरर्स) द्वारा वायुयान के जरिये किया जाने वाला व्यक्तिगत, पसु-घन, माल अथवा डाक का परिवहन आरोपण विधि में अन्य उद्यमों को तब तक वे ऐसे परिवहन के लिये टिकटों को बिक्री, वायुयान का आनुषंगिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध अन्य कार्य शामिल हैं।

अनुच्छेद - 9

जहाजरानी

1. सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के उद्यम को दूसरे सविदाकारी राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से हुई आय पर उस दूसरे सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी आय पर उस दूसरे सविदाकारी राज्य से प्रभावित कर में से उक्त पचास प्रतिशत के बराबर रकम कम कर दी जाएगी।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 के प्रयोजनों के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से होने वाली आय में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) पोत परिवहन से भरे हुए अथवा रिक्त पोत के आधार पर किराये से प्राप्त लाभ, यदि किराये से प्राप्त इस तरह के लाभ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन के आनुषंगिक हों; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्यवस्तुओं के परिवहन के संबंध में आधानों (इनमें ट्रेलर तथा आधानों के परिवहन से सम्बद्ध उपस्कर शामिल है) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराये से प्राप्त लाभ।

3. पैराग्राफ-1 तटवर्ती यातायात के परिणामतः उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद - 10

सम्बद्ध उद्यम

जहाँ

(क) एक सविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक सविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अथवा दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो वैसे शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती है, वहाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु, उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और तदनु रूप उन पर कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद—11

लाभांश

1. जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश दोनों संविदाकारी राज्यों में कराधेय होंगे।

2. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय शेयरों "जाउ सेंस" शेयरों अथवा "जाउ सेंस" अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापकों के शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से, जो ऋण-दावे नहीं हैं और भागीदारों लाभ हों, प्राप्त आय से तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिन पर उमों प्रकार के कराधान व्यवस्था लागू होती है जिस प्रकार कि उस राज्य के कराधान कानून द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होता है जिसमें वितरण करने वालों कंपनी निवासी है।

3. जहाँ कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करता है, वहाँ वह अन्य राज्य कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा जहाँ तक कि उस अन्य राज्य के निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किये जाते अथवा जहाँ तक कि नियंत्रक कंपनी जिसके संबंध में लाभांश अदा किये जाते हैं उस अन्य राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापना अथवा एक निश्चित आधार से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हैं, अथवा कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभों संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किये गये लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से हो उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हो।

अनुच्छेद—12

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले व्याज पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ-1 के उपबंधों के रहते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में उधार अथवा ऋणों के संबंध में उस राज्य में उत्पन्न तथा अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये व्याज पर प्रभावी कर इस प्रकार के व्याज की सकल रकम के 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैरा-2 के उपबंधों के बावजूद भी किसी संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाला व्याज, उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगा यदि

(क) व्याज की अदायगी करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार है अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण है; अथवा

(ख) व्याज किसी ऐसे व्यक्ति अथवा साधन को (इसमें वित्तीय मर्यादा शामिल है) अदा किया जाता है जिसके बारे में दो संविदाकारी राज्यों सहमति हुई हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "व्याज" शब्द से सरकारी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं, और चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय तथा साथ ही सभी अन्य ऐसी प्राय से अभिप्राय है, जो जिस राज्य में आय में उद्भूत हुई हो उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिये गये धन से आय में समाविष्ट की गयी हैं।

5. पैरा-1 तथा 2 के उपबंध उम स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज-प्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, व्यापार चलाता हो अथवा उम दूसरे राज्य में उसमें स्थित निश्चित स्थान से व्यवसायिक सेवाएं करना हो और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में उस अन्य संविदाकारी राज्य में व्याज पर कर उसके अपने कानून के अनुसार लगने योग्य होता है।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक अथवा कोई प्रशासनिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का निवासी हो। किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाला व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में उसका एक स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई है। और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाना है तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

7. जहाँ व्याज, अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच, अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिये व्याज की रकम अदा की गई है, उम रकम से बढ जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति ही गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद—13

रायल्टी

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायल्टियों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जा सकेगा।

2. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भूत हुई मानी जाएंगी यदि रायल्टी अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक अथवा कोई प्रशासनिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा, उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, ब्राहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायल्टियां अदा की गई थी और इस प्रकार की रायल्टियां उसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्भूत हुई हैं, तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिसमें चल-चित्र फिल्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिये फिल्में अथवा टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, व्यापार-चिह्न डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिये अथवा प्रयोगाधिकार के लिये अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबन्धित जानकारी के लिये प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. जहां, रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, अधिकार अथवा गूचता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये वे रायल्टियां अदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिये इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में देने वाले और लेने वाले के बीच सहमति हो गयी होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों के अधिभाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-14

पूजीगत लाभ

1. पैराग्राफ-3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद-6 के पैराग्राफ-2 में यथा परिभाषित किसी पूजीगत परिसंपत्ति अचल संपत्ति के विक्रय, विनिमय अथवा अंतरण से अथवा किसी चल संपत्ति के विक्रय, विनिमय अथवा अंतरण से, फिर चाहे वह मर्त हो अथवा अमर्त हो, होने वाले

लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति उक्त विक्रय, विनिमय अथवा अंतरण से तत्काल पूर्व स्थित रही हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये, किसी कम्पनी के शेयरों का स्थान उस संविदाकारी राज्य में माना जाएगा जिसमें यह कम्पनी निगमित है।

3. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलपोत अथवा विमान पूजीगत परिसंपत्ति के विक्रय, विनिमय अथवा अंतरण से प्राप्त पूजीगत लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित हो।

अनुच्छेद-15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को वृत्ति-संबन्धी सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय उस राज्य में कराधेय हो सकती है। इस प्रकार की आय अन्य संविदाकारी राज्य में भी कराधेय हो सकती है यदि इस प्रकार की सेवाएं उस अन्य राज्य में की गयी हो और यदि :

(क) वह उस अन्य राज्य में उस संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 90 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिये उपस्थित रहा हो, अथवा

(ख) अपने कार्यकलापों के प्रयोजन के लिये उसे उस दूसरे राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो, किन्तु केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो।

2. "वृत्ति-संबन्धी सेवाएं" शब्दों में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबन्धी कार्यकलाप, तथा चिकित्सकों, सर्जनों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-16

पराक्षित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19 तथा 20 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ-1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य

में प्रयुक्त नियोजन के संबन्ध में, प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, कबल प्रथम उल्लिखित राज्य में ही लगेगा यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता आय के राजकोषीय वर्ष में कुल मिलाकर, 183 दिन की अवधि अथवा अधियों के लिये दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, और
- (ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर में की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं हो, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो कि उन नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबन्ध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस उद्यम की प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था है।

अनुच्छेद-17

निदेशक-शुल्क

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद-18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबन्धों के बावजूद, लोक मनोरंजनकारियों जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार और खिलाड़ियों द्वारा अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्यकलाप किये गये हों, जब तक कि उस राज्य की याता का वग्न पूरी तरह अथवा काफी हद तक प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधि द्वारा नहीं किया गया हो।

2. इस करार में निहित किसी व्यवस्था के होते हुए भी पैराग्राफ-1 में उल्लिखित सेवाएं जहां किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा राज्य में मुहैया की जाती हैं वहां ऐसे उद्यम द्वारा उन सेवाओं के मुहैया करने में प्राप्त लाभों पर प्रथम उल्लिखित राज्य में कर लग सकेगा, जब तक कि इस तरह की सेवाओं की व्यवस्था के संबन्ध में उद्यम पर की गई व्यय की व्यवस्था पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को निधियों के जरिये नहीं की गयी हो।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये "सरकार की सार्वजनिक निधियां" पद में सरकार अथवा किसी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित सार्वजनिक निधियां सम्मिलित होंगी।

अनुच्छेद-19

पेंशन

अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अधीन, किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को प्राप्त सेवा के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशनों तथा दूरे इसी प्रकार की पारिश्रमिक पर दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक अथवा प्रशासनिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के लिये की गई सेवाओं के संबन्ध में अदा किये गये पेंशन में भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर कर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा यदि सेवाएं उसी राज्य में की गई हों और वह प्राप्तकर्ता, जो उस राज्य का राष्ट्रिक है उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो।

2. एक संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक अथवा प्रशासनिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, उन राज्य अथवा उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के लिये की गई सेवाओं के लिये अदा की गई अथवा इन संस्थाओं के द्वारा निमित्त निधियों में से पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

3. अनुच्छेद 16, 17 अथवा 19 के उपबन्ध एव संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक अथवा प्रशासनिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये गये कारोबार के संबन्ध में की गई सेवाओं के लिये प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

प्राध्यापक, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक जो एक संविदाकारी राज्य में सरकार अथवा अलाकाय संगठनों के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालय, जहाविद्यालय, विद्यालय अन्य शैक्षिक संस्था में अध्यापन अथवा शोधकार्य करने के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिये अस्थायी दौरा करता

है, और जो ऐसे दौरे के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा रहा हो, उसे ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिये प्राप्त पारिश्रमिक पर प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिये किया जाता है।

अनुच्छेद-22

विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी

एक व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और अनन्य रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है; उसे :

- (क) उस दूसरे राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में विद्यार्थी के रूप में, अथवा
- (ख) कारोबार प्रशिक्षार्थी के रूप में, अथवा
- (ग) अध्ययन, शोधकार्य अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ, किसी सरकारी धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक अथवा शैक्षिक संगठन के अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित के संबन्ध में कर से छूट प्राप्त होगी :
 - (1) उसके पारिश्रमिक पर और अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विदेश से भेजी गई सभी तरह की रकमों पर ;
 - (2) अनुदान, भत्तों अथवा पुरस्कार पर; तथा
 - (3) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में रोजगार के लिये किसी वर्ष में पारिश्रमिक की रकम पर, जब तक कि इस तरह के पारिश्रमिक की रकम किसी वर्ष में 2,200,000 इतालवी लीरा अथवा इसके बराबर भारतीय रूपयों से, जैसा भी मामला हो, अधिक नहीं हो।

2. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और पैराग्राफ-1 में उल्लिखित प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम अथवा किसी संगठन के कर्मचारी के रूप में ऐसे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति से, उस अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक की नहीं हो, तकनीकी, व्यावसायिक अथवा व्यापार संबन्धी अनुभव प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, उसे ऐसी अवधि के लिये उस संविदाकारी राज्य में रोजगार के लिये किसी वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक के संबन्ध में उस संविदाकारी राज्य में जब तक कि इस तरह के पारिश्रमिक की रकम 2,500,000 इतालवी लीरा अथवा इसके बराबर के भारतीय रूपयों से अधिक नहीं हो, जैसा भी मामला हो, कर से छूट प्राप्त होगी।

38 GI/86—2

अनुच्छेद-23

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें वे जहां कहीं भी उद्भूत होती हों और जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचन नहीं किया गया है, उन पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जाएगा।

अध्याय-4

अनुच्छेद-24

दोहरे कराधान से बचने का तरीका

1. इस बात पर सहमति हो गई है कि दोहरे कराधान का परिहार इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार किया जाएगा।

2. (क) इटली के कानूनों के अंतर्गत, और इस करार के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा भारत के किसी निवासी को इटली में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और इटली दोनों में कर लगाया गया है, तो देय इतालवी कर की रकम को, उक्त आय के संबन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जाएगी, परन्तु वह जमा रकम, भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो भारतीय कर लगने योग्य सम्पूर्ण आय का इस प्रकार की आय से बनता हो ;

(ख) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिये, जहां भारत का निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे अधिकार अदा करना है, वहां भारतीय कर के संदर्भ में जमा मानी जाने वाली जमा प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर के संदर्भ में जमा मानी जाएगी और यदि कोई रकम शेष रहती हो तो वह उसके द्वारा भारत में अदा किये जाने वाले अधिकार के संदर्भ में जमा मानी जाएगी।

3. (क) यदि इटली के किसी निवासी के पास आय की ऐसी मदें हैं जो भारतीय गणराज्य और इटली में कर लगने योग्य हैं, तो उसकी आय निश्चित करते समय इस करार के अनुच्छेद-2 में विनिर्दिष्ट कर उस आधार पर शामिल कर लिये जाएं जिस पर आय की उक्त मदों पर ऐसे कर लगाये जाते हैं, जब तक कि इस करार के उपबन्धों में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई हो।

ऐसे मामले में, इटली इस प्रकार संगणित करों में से भारतीय कर की कटौती करेगा, परन्तु वह रकम उपर्युक्त इतालवी कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी, जो आय की ऐसी मदों का सम्पूर्ण आय से बनता हो।

इसके विपरीत, यदि प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर इतालवी कानून के अनुसार उक्त आय की किसी मद पर इटली में अन्तिम कर लगाया जाता है, तो कोई कटौती प्रदान नहीं की जाएगी;

(ख) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 के प्रयोजनों के लिये, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्यापारिक लाभों, लाभांशों, ब्याज अथवा रायल्टियों पर, उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार कर से छूट दी जाती है अथवा कर में कटौती की जाती है, वहाँ ऐसा कर, जो माफ कर दिया गया है अथवा घटा दिया गया है, अदा किया गया मजसू जाएगा।

4. जिस आय पर, इस करार के उपबन्धों के अनुसार एक संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता है, उसे उस संविदाकारी राज्य में अन्य आय पर लगाये जाने वाले कर की दर से संगणना के लिये हिमाव में लिया जा सकता है।

अध्याय-5

विशेष उपबंध

अनुच्छेद-25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबन्धित अपेक्षाओं में भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसे ही परिस्थितियों में और वैसे ही शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. "संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों" पद का अर्थ है :—

वे सभी व्यक्ति, जिन्हें उस संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त है ;

(ख) वे सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियाँ और संगठन, जिन्हें उस संविदाकारी राज्य में लागू कानून से ऐसी हीसियत प्राप्त है।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही परिस्थितियों में अथवा वैसे ही शर्तों के अधीन वैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों।

4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उसमें एक संविदाकारी राज्य के ऐसे व्यक्तियों को जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की बैयक्ति छूटें राहें

और कटौतियाँ प्रदान करने के लिए बाध्य है जो कानून केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध है जो वही के निवासी हैं।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है। प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबन्धी ऐसा कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और तत्संबन्धी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य ऐसे ही उद्यमों पर वैसे ही परिस्थितियों में और वैसे ही शर्तों के अधीन लागू हैं अथवा हो सकते हैं।

6. इस अनुच्छेद के "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद-26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों ही संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण कराधान लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, जो इस करार के अनुकूल नहीं है तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होने हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, अपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा कर निर्धारण अथवा खौद पर कर को रोकने की तारीख से. इनमें से जो भी बाद में हो, दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयत्न करेगा।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयत्न करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण लिये परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी करार में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैरों के अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकार राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ साधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने में जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी आयोग के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद-27

सूचना का आदान-प्रदान

अध्याय-6

उपसंहार

अनुच्छेद-29

प्रवर्तन

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन करारों के अपबंधन को अथवा उनसे बच निकलने के प्रयत्नों को रोकने अथवा उनका पता लगाने के लिए आवश्यक है, जो इस करार का विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जाएगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करारों के निर्धारण, वसुली प्रवर्तन, जांच-पड़ताल अथवा अधियोजन अथवा उससे संबंधित किसी जालसाजी से संबंधित हों, जो इस करार का विषय हैं व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना अथवा दस्तावेज का संबंध हो।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान नेमी आधार पर होगा अथवा विशेष मामलों के संदर्भ में अनुरोध पर या दोनों ही प्रकार से किया जा सकेगा। नेमी आधार पर दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के संबंध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की समय-समय पर सहमति आवश्यक होगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ-1 के उपबंधों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाए :—

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-28

राजनयिक और कौंसली कार्य

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस करार से राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के राज्य-कर विषयक विशेषाधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. इस करार का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा अनुसमर्थन-दस्तावेजों का आदान-प्रदान नयी दिल्ली में यथा संभव शीघ्र किया जाएगा।

2. यह करार, अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख को लागू होगा और उसके उबबंध :—

- (क) भारत में पहली अप्रैल 1977 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी कर लगने योग्य अवधि ("पूर्ववर्ती वर्ष") के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;
 - (ख) इटली में, 1 जनवरी 1977 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी कर लगने योग्य अवधि के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;
- लागू होंगे।

3. विमान परिवहन संचालन उद्यमों की आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए 3 फरवरी 1970 का प्रवर्तमान करार, इस करार के लागू होने पर, निष्प्रभावी हो जाएगा।

अनुच्छेद-30

समाप्ति

यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद से शुरू होने वाले कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को अथवा उससे पहले, राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा।

ऐसी स्थिति में यह करार

- (क) भारत में जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस किया गया हो, उसके अगले परवर्ती दूसरे कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी कराधेय आवधिक ("पूर्ववर्ती वर्ष") के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

- (ख) इटली में, जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके

बाद शुरू होने वाली किसी कराधेय अधि के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध में; निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, इस के लिए विधिवत् प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

रोम में वर्ष 1981 के जनवरी मास के बारहवें दिन को अंग्रेजी, हिन्दी तथा इटली भाषाओं में दो दो प्रतियों में किया गया, इसके सभी पाठ सामान्यतः प्रामाणिक होंगे, परन्तु संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत सरकार की ओर से
ह./-
(जगदीश चन्द अजमानी)

इटली सरकार की ओर से
ह./-
(मोरीजिया बुकी)

प्रांतोकोल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और इटली गणराज्य के बीच करार के संबंध में।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और इटली गणराज्य के बीच आज सम्पन्न हुए करार पर हस्ताक्षर करते समय, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित अतिरिक्त उपबंधों पर सहमत हो गए हैं जो उक्त करार के अभिन्न अंग बनेंगे।

यह समझा जाता है

(क) कि अनुच्छेद 5, पैराग्राफ 2 के संदर्भ में—

—सामान्यतः दूसरों के लिये भण्डार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित किसी भाण्डागार, तथा

—प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिये प्रयुक्त किसी प्रतिष्ठान अथवा इमारत को एक स्थायी स्थापना के रूप में मना जाएगा;

(ख) कि अनुच्छेद-7, पैराग्राफ 4 के संदर्भ में “स्थायी स्थापना के कारोबार के प्रयोजन के लिये किए जानेवाले खर्च” पद का अर्थ है;

—स्थायी स्थापना से कार्य से प्रत्यक्षतः संबंधित व्यय और प्रतिपूरित खर्चों की वास्तविक रकम की सीमा तक रायल्टी, कमीशन तथा ब्याज;

तथा दोनों मामलों में, जिस सविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापना स्थित है उसके कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार अनुमत रकम;

(ग) कि, अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2 के संदर्भ में, भारत के मामले में “उधार अथवा ऋण” पद का अर्थ है भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित उधार अथवा ऋण;

(घ) कि, अनुच्छेद 23 के संदर्भ में “अन्य आय” पद में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस शामिल है;

(ङ) कि, अनुच्छेद 24, पैराग्राफ 4 के संदर्भ में, भारत के मामले में “कर से छूट अथवा घटौती” का अर्थ है, कोई भी रकम जो भारतीय कर के रूप में देय रही हो लेकिन कर लगने योग्य आय की संगणना करते समय मंजूर की गई किसी कटौती के लिए अथवा निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत उक्त वर्ष के लिए मंजूर की गई कर की छूट अथवा घटौती;

(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4ए), 10(15)(iv), 32ए, 33ए, 80 एच एच, 80 जे तथा 80 के, जहां तक की ये धाराएं इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू रही हों तथा उस तारीख से संशोधित नहीं की गई हों अथवा केवल मामूली तौर पर इस तरह से संशोधित की गई हों कि उमका उनके सामान्य स्वरूप पर प्रभाव नहीं पड़ा हो;

(2) कोई अन्य उपबन्ध जो वाद में किया जाए और जिसके जरिए कर से छूट अथवा घटौती मंजूर की जाए और जिस पर सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसका पर्याप्त रूप से समान स्वरूप का होने के प्रति उस स्थिति में सहमति व्यक्त की गई हो जब उसमें उसके वाद संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उसे मामूली तौर पर इस तरह से संशोधित किया गया हो कि इसका उमके मूल स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(च) कि, अनुच्छेद 26, पैराग्राफ-1 के संदर्भ में, “राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी” पद का अर्थ यह है कि पारस्परिक करार कार्यविधि, ऐसी राष्ट्रीय साधारण कार्यवाही का विकल्प नहीं है जो, किसी मामले में, उस स्थिति में रोकथानम के रूप में शुरू की जाएगी, जब दावा करों की ऐसी किसी निर्धारण कार्यवाही से संबंधित हो जो इस करार की शर्तों के अनुसार नहीं हों;

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरियों ने इस प्रांतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

रोम में वर्ष 1981 के जनवरी मास के बारहवें दिन को अंग्रेजी, हिन्दी तथा इटली भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे, परन्तु संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

भारत सरकार की ओर से
ह./-
(जगदीश चन्द अजमानी)

इटली सरकार की ओर से
ह./-
(मोरीजिया बुकी)

अ.म.पत्र सं. 501/10/73/वि.क.प्र.

एन. सुब्रह्मनियम,
अपर सचिव
परमश्रेष्ठ

29 फरवरी, 1984

मुझे आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन के संबंध में भारत की सरकार और इटली की सरकार के बीच 12 जनवरी, 1981 को रोम में, हस्ताक्षर किये गये करार का तथा 12 जनवरी, 1981 को रोम में हस्ताक्षर किए गए करार के प्रोटोकॉल का सादर उल्लेख करते हुए यह कहना है कि प्रोटोकॉल के भाग (ड) में तीसरी पंक्ति में आये शब्द "देय" के बाद "भारतीय कर के रूप में" शब्दों से पहले "किसी कर-योग्य वर्ष के संबंध में" शब्द जोड़े गए हैं।

अंग्रेजी पाठ अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा
"payable in respect of taxable year as Indian tax".

संगत हिन्दी पाठ इस प्रकार होगा:

"किसी कर योग्य वर्ष के संबंध में भारतीय कर के रूप में देय।"

इतालवी पाठ इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"corrisposte in relazione ad um anno imponibile come imposta indiana".

मैं सादर यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस पत्र को और इसके जवाब में आप परमश्रेष्ठ के पत्र को, जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है, ऊपर उल्लिखित करार के प्रोटोकॉल का अनिवार्य भाग समझा जाए।

आपका,

ह./-

(एन. सुब्रह्मनियम)

ह./-

(रिनाटो रूगेरो)

परमश्रेष्ठ राजदूत रिनाटो रूगेरो,
महा निदेशक, आर्थिक कार्य,
विदेश मंत्रालय, इटली सरकार,
मार्फत इटली का दूतावास,
नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी, 1984

परमश्रेष्ठ,

मैं आप परमश्रेष्ठ के फरवरी 1984 के पत्र का उल्लेख करता हूँ जिसका पाठ इस प्रकार है:

"मुझे आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन के संबंध में भारत की सरकार और इटली की सरकार के बीच 12 जनवरी, 1981 को रोम में हस्ताक्षर किए गए करार का तथा 12 जनवरी,

1981 को रोम में हस्ताक्षर किए गए करार के प्रोटोकॉल का सादर उल्लेख करते हुए यह कहना है कि प्रोटोकॉल के भाग (ड) में तीसरी पंक्ति में आये शब्द "देय" के बाद "भारतीय कर के रूप में" शब्दों से पहले "किसी कर-योग्य वर्ष के संबंध में" शब्द जोड़े गए हैं।

अंग्रेजी पाठ अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"payable in respect of a taxable year as Indian tax".

इतालवी पाठ इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"corrisposte in relazione ad um anno imponibile come imposta indiana".

संगत हिन्दी पाठ इस प्रकार होगा:

"किसी कर योग्य वर्ष के संबंध में भारतीय कर के रूप में देय"

मैं सादर यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस पत्र को और इसके जवाब में आप परमश्रेष्ठ के पत्र को, जिसमें उस पर सहमति व्यक्त की गई है, ऊपर उल्लिखित करार के प्रोटोकॉल का अनिवार्य भाग समझा जाए।

मैं आपको सादर यह सूचित करता हूँ कि इटली की सरकार पत्र की विषय-वस्तु से सहमत है।

आपका,

ह./-

(रिनाटो रूगेरो)

श्री एन. सुब्रह्मनियम,
अपर सचिव
राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

[सं. 6647/फा. सं. 501/10/73-वि.क.प्र.]

(वी. यू. एराडी)

संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(FOREIGN TAX DIVISION)

New Delhi, the 8th April, 1986

NOTIFICATION

INCOME TAX

G.S.R. 608(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Government of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged, as required by Article 29 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE
AGREEMENT
BETWEEN

The Government of India

AND

The Government of Italy

FOR

The Avoidance of Double Taxation and
The Prevention of Fiscal evasion with respect to
taxes on income

The Government of India and the Government of Italy
Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income,

Have agreed as follows

CHAPTER I

Scope of the Agreement

ARTICLE I

Personal Scope

This Agreement shall apply to persons who are residents
of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) In the case of India :

1. the income-tax including any surcharge thereon
imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of
1961);
2. the surtax imposed under the Companies (Profits)
Surtax Act, 1964 (7 of 1964);
(hereafter referred to as "Indian tax").

(b) In the case of Italy :

1. the personal income tax (l'imposta sul reddito
delle persone fisiche);
2. the corporate income tax (l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche);
3. the local income tax (l'imposta locale su reddito);
even if they are collected by withholding taxes
at the source

(hereafter referred to as "Italian tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or
substantially similar taxes which are imposed by either
Contracting State after the date of signature of the present
Agreement in addition to, or in place of the taxes referred
to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of
the Contracting States shall notify to each other any
changes which have been made in their respective taxation
laws which are the subject of this Agreement and furnish
copies of relevant enactments and regulations.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context
otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and
includes the territorial sea and airspace above it

as well as any other maritime zone which, according
to the internal law of India, is a maritime zone in
which India has certain rights and to which extend
that those rights can be exercised therein as if
such maritime zone is a part of the territory of
India;

- (b) the term "Italy" means the Republic of Italy includ-
ing the territorial waters of Italy and airspace above
them, as well as any area beyond the said terri-
torial waters, specifically it includes the sea-bed and
the sub-soil contiguous to the territory of the penin-
sula and the Italian islands situated beyond the
territory waters with bounds indicated by the Ita-
lian law on the exploration and the exploitation of
their natural resources;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other
Contracting State" mean India or Italy, as the con-
text requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Italian tax, as
the context requires;
- (e) the term "person" shall have the meaning assigned
to it in the taxation laws in force in the respective
Contracting States;
- (f) the term "company" means any body corporate or
any entity which is treated as a company or a body
corporate under the taxation laws of the respective
Contracting States;
- (g) the term "enterprise of a Contracting State" and
"enterprise of the other Contracting State" mean,
respectively, an enterprise carried on by a resident
of a Contracting State and an enterprise carried on
by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "fiscal year" in relation to Indian tax
means 'previous year' as defined in the Income-tax
Act, 1961 (43 of 1961);
- (i) the term "international traffic" means any transport
by a ship or aircraft operated by an enterprise which
has its place of effective management in a Con-
tracting State, except when the ship or aircraft is
operated solely between places in the other Con-
tracting State;
- (j) the term "competent authority" means in the case
of India, the Central Government in the Depart-
ment of Revenue; and in the case of Italy, the
Ministry of Finance.

2. In the application of the provisions of this Agreement
by one of the Contracting States, any term not defined here-
in shall, unless the context otherwise requires, have the
meaning which it has under the laws in force in that State
relating to the taxes which are the subject of this Agree-
ment.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement the term "resi-
dent of a Contracting State" means any person who is a
resident of that State in accordance with the taxation laws
of that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an
individual is a resident of both Contracting States, then his
residential status for the purposes of this Agreement shall
be determined in accordance with the following rules :

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Con-
tracting State in which he has a permanent home
available to him. If he has a permanent home
available to him in both Contracting States, he
shall be deemed to be a resident of the Contracting
State with which his personal and economic rela-
tions are closer (hereinafter referred to as his
"centre of vital interests");

- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include specially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (h) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continuous for a period of more than three months

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include.

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprises;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:

- (a) he has and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carried on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such an agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise (or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it) he shall not be considered to be an agent of "an independent status" for the purpose of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the rights to work, mineral deposits, oil wells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the

profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3 In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

4 In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

5 No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

6 For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1 Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2 Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participation in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purposes of this Article :

- (a) interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and
- (b) the term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Income of an enterprise of one of the Contracting States derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

2 For the purposes of paragraph 1 of this Article, income from the operation of ships in international traffic shall include

- (a) profits derived from the rental on a full or bareboat basis of ships if such rental profits are incidental to the operation of ships in international traffic; and
- (b) profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

3 Paragraph 1 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1 Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

2. The terms "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

3 Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1 Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 the tax chargeable in a Contracting State on interest arising in that State and paid to a resident of the other Contracting State

in respect of loans or debts shall not exceed 15 per cent of the gross amount of such interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if :

- (a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or
- (b) the interest is paid to any agency or instrumentality (including a financial institution) which may be agreed upon in this behalf by the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the persons paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

2. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or

scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Subject to the provisions of paragraph 3, gains from the sale, exchange or transfer of a capital asset being immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, or from the sale, exchange or transfer of any movable property, whether tangible or intangible, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated immediately before such sale, exchange or transfer.

2. For the purpose of this Article, the situs of the shares in a company shall be deemed to be in the Contracting State in which the company is incorporated.

3. Capital gains derived from the sale, exchange or transfer of a capital asset being a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if :

- (a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 90 days in the relevant fiscal year; or
- (b) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much of the income as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Director of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians) and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised unless the visit to that State is wholly or substantially supported, directly or indirectly, by public funds of the Government of the other Contracting State.

2. Notwithstanding anything contained in this Agreement, where the services mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived from providing these services by such enterprise may be taxed in the first-mentioned State unless the enterprise is wholly or substantially supported, directly or indirectly, by public funds of the Government of the other Contracting State in connection with the provision of such services.

3. For the purpose of this Article, the term "public funds of the Government" shall include public funds created by the Government or a political or administrative sub-division or a local authority thereof.

Article 19

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be taxed in both the Contracting States.

Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who is a national of that State.

2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, owned by the Government or non-profit organisations, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

STUDENTS AND TRAINEES

1. An individual who is a resident of a Contracting State and visits the other Contracting State solely :

- (a) as a student at a university, college or other recognised educational institution in that other Contracting State, or
- (b) as a business apprentice, or
- (c) for the purpose of study, research or training, as a recipient of a grant, allowance or award, from a governmental, religious, charitable, scientific or educational organisation.

shall be exempt from tax in that other Contracting State :

- (i) on his remuneration and all remittances from abroad for the purposes of maintenance, education or training ;
- (ii) on the grant, allowance or award ; and
- (iii) in respect of the amount, representing remuneration for an employment in that other Contracting State, to the extent such remuneration does not exceed 2,200,000 Italian Liras or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

2. An individual who is a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a period not exceeding one year as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in paragraph 1 for the primary purpose of acquiring technical, professional or business experience shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for an employment in that other Contracting State for such period, to the extent such remuneration does not exceed 2,500,000 Italian Liras or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

Article 23

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in both the Contracting States.

CHAPTER IV

Article 24

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article :

2. (a) The amount of Italian tax payable, under the laws of Italy and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Italy which has been subjected to tax both in India and Italy, shall be allowed

as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.

- (b) For the purposes of credit referred to, in sub-paragraph (a) above, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

3. (a) If a resident of Italy owns items of income which are taxable in the Republic of India, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Indian tax on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income. On the contrary no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

- (b) For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax on business profits, dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced in accordance with the taxation laws of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid.

4. Income which in accordance with the provisions of this Agreement is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The term "nationals of a Contracting State" means :

- (a) all individuals possessing the nationality of that Contracting State ;
- (b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in that Contracting State.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to

any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of these States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a Court or administrative body) concerned with the assessment, collections, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or any frauds connected therewith, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases of both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

- (a) in India, in respect of income assessable for any taxable period ("previous year") commencing on or after the 1st day of April, 1977.
- (b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st January, 1977.

3. The existing Agreement for the avoidance of double taxation of income of enterprises operating aircraft dated the 3rd February, 1970 shall cease to have effect upon the entry into force of this Agreement.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income assessable for any taxable period ("previous year") commencing on or after the 1st day of April in the calendar year next following that in which such notice is given.
- (b) in Italy, in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Rome, the 12th day of January, 1981, in the English, Hindi and Italian languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Govt. of India

Sd/-

(J. C. Ajmani)

For the Govt. of Italy

Sd/-

(Maurizio Bucci)

PROTOCOL

To the Agreement between the Republic of India and the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

At the signing of the Agreement concluded today, between the Republic of India and the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement:

It is understood:

- (a) that with reference to Article 5, paragraph 2,
- a warehouse in relation to a person providing storage facilities normally for others, and
 - an installation or structure used for the exploration of natural resources,

shall be deemed as a permanent establishment;

- (b) that, with reference to Article 7, paragraph 4, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment" means:

- the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment, and
- royalties, commissions and interest to the extent of the actual amount of expenses reimbursed. And in both cases as admissible in accordance with the provisions of the taxation laws of the Contracting State in which the permanent establishment is situated;

- (c) that, with reference to Article 12, paragraph 2, the expression "loans or debts" means, in the case of India, loans or debts approved in this behalf by the Government of India;

- (d) that, with reference to Article 23, the expression "other income" includes fees for technical services;

- (e) that, with reference to Article 24, paragraph 4, "tax exempted or reduced" means, in the case of India, any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under:—

- (i) sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv), 32A, 33A, 80AF, 80I and 80K of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Agreement or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character;

- (ii) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

- (f) that, with reference to Article 26, paragraph 1, the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative to the national ordinary proceedings which shall be in any case preventively initiated when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Agreement:

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Rome, the 12th day of January 1981, in the English, Hindi and Italian languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Govt. of India

Sd/-

(J. C. Ajmani)

For the Government of Italy

Sd/-

(Maurizio Bucci)

N, SUBRAMANIAN ADDITIONAL SECRETARY

D.O. No. 501|10|73-FTD

29th February, 1984

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of India and the Government of Italy for the Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion with respect to taxes on Income signed in Rome on the 12th January, 1981 and the Protocol to the Agreement signed in Rome on the 12th January, 1981 and to state that in para (e) of the Protocol after the word "payable" appearing in the third line, the words "in respect of taxable year" have been added before the words "as Indian tax".

The English text will now read as "payable in respect of taxable year as Indian tax".

The correspondent Hindi text reads:

"किसी कर योग्य वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय कर के रूप में देय"

The correspondent Italian text will read: "corrisposti in relazioni ad un anno imponibile come imposta indiana".

I have the honour to propose that the letter and your Excellency's reply concurring therein will constitute an integral part of the Protocol to the Agreement mentioned above.

Yours sincerely,

Sd/- (N. SUBRAMANIAN)

H. E. Ambassador Renato Ruggiero,
Director General for Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
Government of Italy,
C/o Embassy of Italy,
New Delhi.

Sd/-

(Renato Ruggiero)

New Delhi, the 29th February, 1984.

Excellency,

I have the honour to refer to your Excellency's letter dated 29th February, 1984 which reads as follows :

"I have the honour to refer to the Agreement between the Government of India and the Government of Italy for the Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed in Rome on the 12th January, 1981 and the Protocol to the Agreement signed in Rome on the 12th January, 1981 and to state that in para (e) of the Protocol after the word "payable" appearing in the third line, the word "in respect of taxable year" have been added before the words "as Indian tax".

The English text will now read as "payable in respect of a taxable year as Indian tax".

The correspondent Italian text will read: "corrisposte in relazione ad un anno imponibile come imposta indiana".

The correspondent Hindi text reads:

"किसी कर योग्य वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय कर के रूप में देय"

I have the honour to propose that the letter and your Excellency's reply concurring therein will constitute an integral part of the Protocol to the Agreement mentioned above.

I have the honour to inform you that the Government of Italy agrees on the contents of the letter.

Yours Sincerely,

Sd/-

(Amb. Renato Ruggiero)

Mr. N. Subramanian,
Additional Secretary,
Deptt. of Revenue,
Ministry of Finance,
Govt. of India.

[No. 6647|F. No. 501|10|73-FTD]

V. U. ERADI, Jt. Secy.